[2013] 1 एस. सी. आर. 362

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम

सनी प्रकाश एवं अन्य

(2013 की सिविल अपील सं. 516)

18 जनवरी, 2013

[पी.सथाशिवम और जगदीश सिंह खेहर, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 166 सपठित कार्यकारी व्यवसाय के नियम, बिहार राज्य-

अनुबन्द/समझौता दिनांक 18.07.2007 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी संघ और राज्य सरकार के बिच किया गया जिसमें विश्वविद्यालय ओर घटक महाविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के समकक्ष घोषित किया गया, इस दलील पर लागू नहीं किया गया कि समझौता कार्यपालिका के नियमों के अनुसार नहीं था- मानाः केवल निर्वाचित सरकार के परिवर्तन के कारण और पिछली सरकार का निर्णय राज्यपाल के नाम पर अनुच्छेद 166 के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया गया था, वैध निर्णय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यह राज्य के लिए खुला नहीं है कि वह यह तर्क दे कि ऐसे निर्णय उन्हें बाध्य नहीं करते हैं- इसके अलावा अनुच्छेद 166 के प्रावधान केवल निर्देशात्मक हैं और अनिवार्य नहीं हैं एवं यदि

उनका पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे तथ्य के प्रश्न को सिद्ध किया जा सकता है कि विवादित आदेश वास्तव में राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था- हस्तगत मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय सरकार द्वारा या उसकी ओर से नहीं लिया गया था- राज्य सरकार को उच्च न्यायालय ने न केवल राज्य सरकार को समझौते दिनांकित 18.07.2007 को लागू करने का निर्देश दिया बल्कि फेडरेशन को छात्र समुदाय के हित में तुरंत हड़ताल बंद करने का भी निर्देश दिया- राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया- सेवा कानून- कार्यकारी व्यवसाय के नियम बिहार राज्य- जनहित याचिका- पत्र याचिका।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया किये गये जी. ओ. दिनांक 25.02.1987 **का गैर-कार्यान्वयन जिसमें विश्वविद्यालयों एवं घटक महाविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारीगण को राज्य कर्मचारीयों के समकक्ष घोषित किया गया था** जिसके कारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संघठनों द्वारा बार-बार हडताल की जा रही थी एवं राज्य सरकार व संघठनों के बीच समझौते/सुलह हो रही थी एवं अन्ततः दोनों के बीच समझौता/अनुबन्द दिनांक 18.07.2007 को हुआ। सरकार द्वारा एक पत्र दिनांक 19.07.2007 को समझौते के कार्यान्वयन के लिए जारी किया गया और नतीजतन हड़तालों को वापस ले लिया गया। हालांकि समझौता/अनुबन्द फिर से लागू नहीं किया गया

था जिससे फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। इसके बाद उत्तरदाता नं. 1 जो एक छात्र है, ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हडताल समाप्त कराने का अनुरोध किया, जिसे जनहित याचिका के रूप में माना गया। फेडरेशन ने एक हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 7.8.2008 के आदेश द्वारा मुख्य सचिव को निर्देश देकर राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 18.07.2007 समझौते का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। महासंघ को भी निर्देश दिया गया था कि अपनी हड़ताल वापस ले लें।

राज्य सरकार द्वारा दायर हस्तगत अपील में अपीलार्थियों के द्वारा यह तर्क दिया गया था कि समझौता दिनांकित 18.07.2007 कार्यकारी व्यवसाय, बिहार राज्य के नियमों के अनुसार नहीं था।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने -

अभिनिर्धारित किया : 1.1. केवल निर्वाचित सरकार के परिवर्तन के कारण और इस कारण कि पिछली सरकार के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 166 के संदर्भ में राज्यपाल के नाम पर व्यक्त नहीं किया गया। वैध निर्णय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और राज्य के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि वे निर्णय उन्हें बाध्य नहीं करते हैं। [पैरा 15] [380-डी]

बिहार राज्य और अन्य बनाम बिहार राज्य M.S.E.S.K.K. महासंघ और अन्य, 2004 (5) सपलिमेन्टरी एससीआर 376 = (2005) 9 एस. सी. सी. 129- पर भरोसा किया गया।

1.2. इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधान मात्र निर्देशात्मक है ना कि आज्ञापक और यदि उनका पालन नही किया जाता है तो यह तथ्य के प्रश्न के रूप में स्थापित किया जा सकता है कि आक्षेपित आदेश वास्तव में राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था। हस्तगत मामलें में, सरकार द्वारा जारी विभिन्न संसूचनाएं उपलब्ध है। जो पूर्व के निर्णय के क्रियान्वन हेतू जारी की गई है। ऐसी परिस्थितियों में उन संसूचनाओं को खारिज करने का कोई आधार नही है जो उच्च स्तरिय अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई है। [पैरा 16] [383-डी-ई]

आर. चित्रलेखा एवं अन्य बनाम मैसूर राज्य एवं अन्य 1964 एस. सी. आर. 368 = ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1823-पर निर्भर किया गया।

1.3- वर्तमान मामले में सहमति की प्रकिया दिनांक 17-07-2007 को की गई। जो यह दिखाती है कि बिहार विधान परिषद् के चैयरमेन के अलावा सम्बन्धित मंत्री अर्थात् मानव संसाधन विभाग के मंत्री एवं मुख्य सचिव मानव संसाधन विभाग तथा आयुक्त वित्त विभाग तथा अन्य उच्च स्तर के राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया, विचार विमर्श किया एवं अन्ततः महासंघ

की मांगों को स्वीकार किया। यहा यह भी उल्लेख किया जाता है कि विचार विमर्श के अन्त में एवं नियम व शर्ताे को लेखबद्ध करने के उपरान्त महासचिव महासंघ, चैयरमेन एवं अतिरिक्त आयुक्त कम सचिव मानव संसाधन विभाग ने उन पर अगले ही दिन अर्थात् दिनांक 18-07-2007 को हस्ताक्षर किये थे। इसके अलावा दिनांक 17-07-2007 के विचार विमर्श के बाद दिनांक 19-07-2007 को ही मानव संसाधन विभाग बिहार राज्य की ओर से एक अन्य संसूचना समस्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को भेजी जाकर समझौता वार्ता में हुए निर्णय को लागू करने के आदेश दिये गये। ऐसी परिस्थितियों में यह नही कहा जा सकता है कि लिया गया निर्णय सरकार द्वारा या उसकी ओर से नहीं लिया गया। [पैरा 6,7 और 9] [369 - ई; 372-जी-एच; 373-ए-बी; 374-डी-ई]

हरिद्वार सिंह बनाम बागुन सुम्बरुई और अन्य, 1972 (3) एससीआर 629 = (1973) 3 एससीसी 889; पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी, 2003 (2) सप्लीमेंट। एससीआर 743 = (2003) 8 एससीसी 204-निर्भर नहीं किया गया।

यू. पी. राज्य बनाम नीरज अवस्थी और अन्य, (2006) 1 एस. सी. सी. 667 = 2005 (5) पूरक। एस. सी. आर. 906- संदर्भ लिया गया।

1.4. यहां तक कि दिनांक 25.02.1987 के सबसे प्रारंभिक निर्णय जिसमें शिक्षा विभाग बिहार राज्य द्वारा महासंघ महासचिव को सूचना दी गई थी कि

राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं विश्वविद्यालय व अधीनस्थ सम्बध महाविद्यालयों के गैर-शैक्षिणिक कर्मचारियों के लिए भी स्वीकृत की जायेंगी। उसी सरकार के द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के प्रकाश में, विशेषत, मानव संसाधन विभाग/शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश जिसमें विश्विद्यालयों के उप कुलपतियों एवं रजिस्ट्रारों को सरकार के निर्णय को लागू करने हेतु कहा गया था। यह नही कहा जा सकता है कि केबिनेट के निर्णय के अभाव में जो कार्यकारी व्यवसाय के नियमों के अनुसार नही लिया गया अन्य कोई समझौते या निर्णय राज्य सरकार पर आबद्धकर नही है। राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले वर्ष 1987 में प्रतिबद्धता दिखाई गई थी तथा उसके उपरान्त महासंघ की पश्चयातवर्ती मांगों जो विभिन्न समयों पर की गई थी एवं सम्बन्धित मंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया था। जिसमें विभिन्न अधिकारी जिनमें मानव संसाधान विभाग व वित्त विभाग के प्रतिनिधि व महासंघ के प्रतिनिधि व अन्य व्यक्ति जो विवादित प्रश्न से सम्बन्धित थे। इसके साथ ही उक्त कुलपतियों एवं रजिस्ट्रारों को निर्देश जारी किये गये थे कि सरकार का निर्णय लागू किया जायें। उन परिस्थितियों में, राज्य सरकार के लिए यह खुला नही है कि वह यह आपत्ति उठा सके कि निर्णय संविधान के अनुच्छेद 162 सपठित 166 के तहत सरकार का निर्णय नही था। [पैरा 9,10 और 14] [375-ई; 376-एच; 377 - ए-बी; 378-जी-एच; 379-ए-बी]

1.5. सभी व्यक्ति जो विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम थे, समझौते में पक्षकार थे एवं राज्य सरकार ऐसी प्रतिबद्धता दिखाने के बाद, जैसा उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से माना गया है, समझौते का सम्मान बिना किसी अपवाद के किया जाना चाहिए। अपने आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ना केवल राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह स्वंय द्वारा की गई प्रतिबद्धता जो दिनांक 18.07.2007 को लिखित रूप में की गई थी का सम्मान करें। बल्कि महासंघ को भी यह आदेश दिये गये कि छात्र समूदाय के हित में हडताल तुरन्त समाप्त करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को अन्तरिम प्रकृति का बताया हैं परन्तू रिट याचिका एक छात्र द्वारा छात्र समूदाय के हित में पत्र लिखने पर जनहित याचिका के रूप में संस्थित की गई थी कि अब ऐसी रिट याचिका में किसी आगामी आदेश के पारित करने की आवश्यकता नही है एवं याचिका समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार को यह निर्देश दिये गये की उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2008 को पारित आदेश लागू करे। [पैरा 17-18] [383-F-H; 384-A-C]

कानून जिनका संदर्भ लिया गया

1972 (3) एससीआर 629	चस्पा नही होना पाया गया	पैरा 11
2003 (2) पूरक। एससीआर 743	चस्पा नही होना पाया गया	पैरा 12

2005 (5) पूरक। एससीआर 906 उल्लेख किया गया पैरा 13

2004 (5) पूरक। एस. सी. आर. 376 निर्भर किया गया पैरा 15

1964 एससीआर 368 निर्भर किया गया पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 516/2013

पटना उच्च न्यायालय के 2008 के C.W.J.C सं. 10870 के निर्णय ओर आदेश दिनांक 07.08.2008 से उत्पन्न।

राकेश द्विवेदी, के. के. वेणुगोपाल, गोपाल सिंह, समीर अली खान, एस. पाठक चंदन कुमार, प्रेम प्रकाश, अंशुल नारायण, पूजा धर, मनु शंकर मिश्रा, अंशुमन उपाध्याय, डी. के. पांडे, बिजन कुमार घोष, अशोक माथुर, सरला चंद्र, पक्षकारान की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

पी. सथासिवम, न्यायाधिपति, 1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय पीठ पटना के आदेश व निर्णय दिनांक 07.08.2008 जो सी. डब्ल्यू. जे. सी. नम्बर 10870/2008 में पारित किया गया है। जिसमें उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने जनहित याचिका में परमादेश जारी कर बिहार राज्य के मुख्य सचिव को सरकार की प्रतिबद्धता जो

उसके द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ (छोटे में महासंघ) का सम्मान करना व उसे लागू करना आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर सुनिश्चित करें।

3. संक्षिप्त तथ्यः

(क) बिहार राज्य की शिक्षा विभाग ने जि-ओ- दिनांकित 25-02-1987 से यह घोषना की विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बन्धित महाविद्यालयों की गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष माना जाये।

(ख) दिनांक 16-07-2003 को महासंघ व राज्य सरकार के बीच एक समझौता सुलह इस आशय का हुआ कि विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता होगी। दिनांक 21-07-2003 को राज्य सरकार ने उक्त समझौता बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के समस्त कुलपतियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित किया था।

(ग) 2005 में किये गये समझौतें का कार्यान्वयन न होने के कारण महासंघ द्वारा बिहार राज्य में हडताल की गई। हडताल के बाद एक सहमति महासंघ व बिहार राज्य के बीच दिनांक 24-08-2005 बनी जिसमें हडताल वापस ले ली गई।

(घ) फिर भी समझौता लागू नही करने पर महासंघ द्वारा दिनांक 07-07-2007 से हडताल शूरू की गई जिससे बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का पूर्णतः विघटन हो गया। दिनांक 17-07-2007 को महासंघ के प्रतिनिधियों व बिहार राज्य के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। जिसमें एक समझौता सहमति दिनांक 18-07-2007 को मांगों को लेकर हुई। समझौते के अनुसरण में राज्य द्वारा दिनांक 19-07-2007 को एक पत्र समझौते को लागू करने बाबत् जारी किया गया एवं हडताल वापस ली गई।

(ड०) जुलाई 2008 में पुनः समझौते सहमति को लागू नही करने कारण महासंघ द्वारा विवश होकर पुनः हडताल की गई। अनिश्चित कालिन हडताल के कारण दिनांक 14.07.2008 सनी प्रकाश (उत्तरदाता संख्या 1) जो दरोगा प्रसाद रॉय डिग्री कॉलेज का छात्र था, के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पत्र लिखकर हडताल समाप्त कराने का निवेदन किया गया। जिस पत्र को जनहित याचिका माना गया। दिनांक 28.07.2008 को महासंघ द्वारा जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका पेश की गई।

(च) पक्षकरों को सुनने के पश्चात् उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आदेश दिनांक 07.08.2008 के द्वारा मुख्य सचिव बिहार राज्य को यह आदेश दिये कि वह बिहार सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता जिसे दिनांक 18.07.2007 को

अभिलिखित किया गया था, का सम्मान करे व उसे लागू करे। उच्च न्यायालय ने महासंघ को हडताल अविलम्ब वापस लेने के आदेश भी दिये।

(छ) दिनांक 22.08.2008 को बिहार राज्य द्वारा आक्षेपित आदेश में संशोधन करने की याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई।

(ज) आदेश दिनांक 07.08.2008 से व्यथित होकर बिहार राज्य द्वारा यह अपील विशेष अनुमति याचिका के रूप में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

4. श्री राकेश द्विवेदी, जो अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं, श्री के. के. वेणुगोपाल, जो उत्तरदाता सं. 4 और 5 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं, श्री मनु शंकर मिश्रा, विद्वान वकील उत्तरदाता सं. 2 और 3 और प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए श्री अशोक माथुर को सुना।

विशलेषणः

5. राज्य की एकमात्र व्यथा यह है कि समझौता दिनांक 18.07.2007 जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्भर कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। वह बिहार राज्य के कार्यकारी नियमों जो नियम संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत बनाये गये है, के अनुरूप नही है। इसके विपरित महासंघ द्वारा यह कहा गया है कि समझौता जो 18.07.2007 को हुआ था वह वैध है और

उसके अनुसरण में राज्य सरकार स्वंय द्वारा लागू करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को जारी किये गये है।

6. प्रतिद्वंद्वी दावे को समझने के लिए, समझौता की कार्यवाही दिनांक 17.07.2007 की प्रति का उल्लेख करना उपयोगी है, जो नीचे लिखा हैः

> "17.07.2007 की परिचर्चा की कार्यवाही को लागू करने की कार्यवाही जो समझौता बिहार राज्य विश्विद्यालय एवं महाविद्यालय महासंघ के साथ दिनांक 24.08.2005 को हुआ था एवं हडताल वापस लेने बाबत्।
>
> उपस्थितः
>
> 1. माननीय प्रो. अरुण कुमार, अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद।
>
> 2. माननीय श्री वृषण पटेल, मानव संसाधन मंत्री
>
> 3. माननीय वासुदेव सिंह, एम. एल. सी.
>
> 4. माननीय केदार पांडे, एम. एल. सी.
>
> 5. माननीय महाचंद्र प्रसाद सिंह, एम. एल. सी.
>
> 6. माननीय दिलीप कुमार चौधरी, एम. एल. सी.

7. माननीय राम किशोर सिंह, एम. एल. सी.

8. माननीय श्रीमती उषा साहनी, एम. एल. सी.

9. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग

10. आयुक्त, वित्त विभाग

11. अतिरिक्त आयुक्त, मानव संसाधन विकास विभाग

12. अतिरिक्त आयुक्त, वित्त विभाग

13. श्री राजेंद्र मिश्रा, संरक्षक, महासंघ (एसोसिएशन)

14. श्री बिमल प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, महासंघ

15. श्री गंगा प्रसाद झा

16. श्री रामशंकर मेहता, संयुक्त सचिव, महासंघ

17. श्री धनजय प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष, महासंघ

18. श्री प्रेमचंद, संयुक्त सचिव, महासंघ

19. श्री रोहित कुमार, खजांची, महासंघ,

20. श्री. एम. पी. जयस्वाल, कार्यकारी सदस्य

राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की हडताल के मामलें में महासंघ के प्रतिनिधि, चैयरमेन, बिहार विद्यान परिषद् से उनके कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर मिले एवं निम्न बिन्दुओ पर चर्चा करने के उपरान्त राजकिय आदेश जारी करने व महासंघ द्वारा हडताल वापस लेने का निर्णय लिया गया।

1. 50 % महँगाई भत्ते का विलय मूल वेतन में किया जायेगा

2. चिकित्सा भत्ता 50 रूपये से बढा कर 100 रूपये किया जा सकता है।

3. एसीपी की सुविघा कर्मचारियों को दी जा सकती है।

4. महाविद्यालयों के मुख्य सहायक व अंकाउटेंट को सेक्शन ऑफिसर के पदनाम पर विभागिय स्तर पर नामित किया जा सकता है।

5. वेतन श्रंखला 5500-9000 विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के सहायको को दी जा सकती है।

6. सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष व पीटीआई जो यू.जी.सी. द्वारा बताई गई योग्यता रखते है को यू.जी.सी. का वेतनमान दिया जा सकता है।

7. पुस्तकालय सहायक, सॉर्टर, नियमित लिपिक व डाक लिपिक को विभागिय स्तर पर 4000-6000 की वेतन श्रंखला दी जा सकती है।

8. 240 दिन तक का अर्जित अवकाश एकत्र करने की सुविधा एवं उसके नकदीकरण की सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों की समानता से श्रेणी 3 व श्रेणी 4 के कर्मचारियों को दी जा सकती है।

9. वार्ड सेवक को छात्रावास सेवक के रूप में नामित किया जा सकता है।

10. विश्वविद्यालय की इंजीनियर, सहायक इंजीनियर व कनिष्ठ इंजीनियर के वेतन व इलेक्ट्रशियन के वेतन की विसंगतिया दूर की जा सकती है।

11. स्टोर किपर को सहायक के रूप में माना जा सकता है एवं उसके अनुसार वेतनमान दिया जा सकता है।

निम्नलिखित बिन्दूओं पर हडताल की समयावधि पर विचार किया गया।

1. कोई दण्डात्मक व प्रतिरोधि कार्यवाही हडताल के लिए किसी कर्मचारी के विरूद्ध शुरू नही की जायेगी।

2. हडताल की अवधि के दौरान देय व स्वीकृत अर्जित अवकाश प्रदान किया जायेगा।

3. उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त यदि अनुपस्थिति के कोई दिन बचते है तो ऐसी अनुपस्थिति भविष्य में मिलने वाली अर्जित अवकाश के बदले स्वीकृत की जायेगी।

4. यदि अर्जित अवकाश जो भविष्य में मिलना है भी पर्याप्त नही है तो अनुपस्थिति के लिए असाधारण अवकाश बची हुई अवधि के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

एसडी / एसडी / एसडी /

(गंगा प्रसाद झा) (Dr.Vimal Pd. सिन्हा) (संजीव के. सिन्हा)

18.07.2007 18.07.2007 18.07.2007

महासचिव सभापति सहसचिव, मानव संसाधन

विकास विभाग पटना"

7. उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि विधानपरिषद् के सभापति के अलावा सम्बन्धित मंत्री अर्थात् मंत्री मानव संसाधन विभाग एवं प्रधान सचिव मानव संसाधन विभाग व उपायुक्त वित्त विभाग के साथ साथ राज्य सरकार के उच्च स्तर के विभिन्न अधिकारियों ने परिचर्चा में भाग लिया विचार विमर्श किया एवं अन्ततः महासंघ की मांगो को स्वीकार किया। यहां यह भी नोट करना आवश्यक है कि परिचर्चा के अन्त में एवं नियम व शर्ते विलिखित करने के पश्चात् महासंघ के महासचिव, सभापति एवं अतिरिक्त आयुक्त मानव संसाधन विभाग पटना द्वारा उसे आगामी दिवस अर्थात् दिनांक 18.07.2007 को हस्ताक्षरित किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में यह नही कहा जा सकता कि निर्णय राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की ओर से नही लिया गया है।

8. इसके अलावा, श्री वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विरोध करने वाले उत्तरदाता की ओर से न्यायालय के संज्ञान में पत्र दिनांक 21.07.2003 प्रस्तुत किया है, जो समस्त उपकुलपति बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को जारी किया गया है। जो निम्नानुसार है-

"पत्र संख्या 2/डी.ओ.1-04/2003 एच.ई.

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

प्रेषक

श्री आदित्य नारायण सिंह

उप सचिव

प्रेषिति

सभी उपकुलपति

बिहार राज्य के समस्त विश्वविद्यालय

पटना दिनांकः 21.07.2003

विषयः- समझौता दिनांक 16.07.2003 जो बिहार सरकार व बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बीच हुआ था, की प्रक्रिया

महोदय,

बिहार सरकार व बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बीच हुए समझौते दिनांक 16.07.2003 की प्रक्रिया की प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जा रही है।

भवदीय

एसडी/21.07.2003

आदित्य नारायण सिंह

बिहार सरकार के उप सचिव

राजेन्द्र/19.07.2003

मेमोरेण्डम नम्बर 2/डी.01-04/2003

दिनांकित 21.07.2003

9. इसके अलावा हमारे ध्यान में यह भी लाया गया है कि विचार विमर्श दिनांक 17.07.2007 के उपरान्त दिनांक 19.07.2007 को ही, मानव संसाधन विकास विभाग बिहार राज्य ने एक अन्य सूचना समस्त राज्य के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को समझौता वार्ता दिनांक 17.07.2007 में लिए गये निर्णय को लागू करने के लिए भेजी थी। उक्त पत्र निम्नानुसार है।''

"पत्र दिनांक 2/डी01-04/2003-1107

बिहार सरकार

मानव संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल जी

उपनिर्देशक, मानव संसाधन विकास विभाग

पटना दिनांक 19.07.2007

प्रेषिति

श्रीमान् रजिस्ट्रार

बिहार राज्य के समस्त विश्वविद्यालय

विषयः- बिहार सरकार व बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बीच हुए समझौते दिनांक 24.08.2005 एवं वार्तालाप दिनांक 17.07.2007 बाबत् वापस लेने हडताल को लागू करने बाबत्।

महोदय,

जैसा निर्देश दिया गया है, बिहार सरकार व बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बीच हुए समझौते दिनांक 24.08.2005 एवं वार्ता दिनांक 17.07.2007 की प्रक्रिया की प्रति जो हडताल वापस लेने के लिए हुई थी को लागू करने हेतू एवं आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना हेतू, आपको प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

एसडी,

गोपाल जी

उप निर्देशक (उच्च शिक्षा)"

दोनो पक्षकारान द्वारा उठाये गये बिन्दुओ को समझने के लिए यह आवश्यक है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निर्णय दिनांक 25.02.1987 को देखा जाये जिसमें महासंघ के महा सचिव को यह सूचित किया गया था कि जो सुविधाएं राज्य कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है वह सुविधाएं विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ समबद्ध महाविद्यालयों के गैर-शैक्षणिक स्टाफ को भी स्वीकृत की जायेगी। उक्त सूचना निम्नानुसार है-

‘‘नम्बर 123/सी

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक

भास्कर बेनर्जी

उप सचिव राज्य सरकार, शिक्षा विभाग बिहार

प्रेषिति

महा सचिव

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक कर्मचारी महासंघ

पटना

दिनांक 25.02.1987

श्रीमानजी,

यह आपको निर्देशानुसार सूचित करने के लिए है जो समझौता सरकार व सरकार के कर्मचारियों के बीच कुछ समय पूर्व हुई हडताल व सुविधाएं जो दी जानी चाहिए के बीच हुआ था। वही विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के गैर-शैक्षणिक स्टाफ हेतु स्वीकृत की जायेगी। राज्य सरकार ने उपरोक्त को सरकारी कर्मचारी के समान घोषित करने का निर्णय ले लिया है।

इस पत्र की प्रति समस्त विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

एसडी

भास्कर बनर्जी

25.02.1987

उप सचिव शिक्षा विभाग पटना, बिहार"

10. श्री राकेश द्विवेदी, सरकार की ओर से विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहस की कि केबिनेट के किसी निर्णय के अभाव में, जो कार्यकारी नियमों के अनुसार लिया गया हो। अन्य समझौता या निर्णय उन पर बाध्यकारी नही है। परन्तू उसी सरकार ने विभिन्न निर्देशों के प्रकाश में विशेषत मानव संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग जिसमें समस्त विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों व रजिस्ट्रारों को राज्य का निर्णय लागू करने के आदेश दिये गये है। ऐसी बहस माने जाने योग्य नही है।

11. अपने कथनों के समर्थन में श्री द्विवेदी वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के निर्णय हरिद्वार सिंह बनाम बागुल शुम्भुरी एवं अन्य 1973 (3) एस.सी.सी. 889 पर निर्भर किया गया। जिसमें कार्यकारी व्यवसाय के नियम 10 का सहारा लेते हुए एवं यह पाते हुए कि नियम 10 (2) के तहत वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किसी भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक है एवं केवल

मात्र केबिनेट ऐसे निर्णय लेने में सक्षम है। इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के विपरित को अपास्त किया। हमारे अनुसार उक्त निर्णय हस्तगत मामले पर लागू नही होता है क्योकि हमने पहले ही यह नोट किया है कि उपायुक्त वित्त विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य उच्च अधिकारी वार्तालाप में सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा उस निर्णय में वित्त विभाग से परामर्श लिया गया था। विभाग उक्त प्रस्ताव पर सहमत नही हुआ। जबकि हस्तगत प्रकरण में यह स्थिति नही है।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अगला निर्णय पूनित रॉय बनाम दिनेश चौधरी 2003(8) एस.सी.सी. 204 अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत किया है। उन्होने न्यायालय का ध्यान निम्न कथनों पर आकर्षत किया है।

> ‘‘42. ऐसा परिपत्र राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदान किये गये अधिकारों के अनुसरण में जारी नही किया गया है। ऐसा नही कहा गया है कि लिया गया निर्णय मंत्रिमण्डल या अन्य अधिकारी जिसे अनुच्छेद 166(3) के तहत अधिकृत किया गया था, के द्वारा लिया गया है। यह प्रकट होता है कि ऐसा परिपत्र मात्र प्रशासनिक अनुदेश है। जो भारत के संविधान के अनच्छेद 13 के प्रकाश में विधि की परिभाषा में

नही आता है। (देखे द्वारका नाथ तिवारी बनाम बिहार राज्य एआईआर 1959 एस.सी. 129)''

सर्वप्रथम ऐसा निर्णय इस प्रश्न से सम्बन्धित है कि उत्तरदाता अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है या नहीं। ऐसे निर्णय के अवलोकन से हमारा यह मत है कि ऐसा निर्णय हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

13. अन्ततः विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य ने इस न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य बनाम निरज अवस्थी एवं अन्य 2006(1) एस.सी. 667 का आवलम्ब लिया है। यह प्रकरण उच्च न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को नियमित करने की योजना बनाने के निर्देश दिये जा सकते है। विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पैरा 41 में दिये गये अभिवचन का आवलम्ब लिया गया है जो निम्नानुसार है-

''41. राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्णय संविधान के अनुसार लिया जाना चाहिए अर्थात् निर्णय लिए जाते समय संविधान के अनुच्छेद 162 सपठित अनुच्छेद 166 में बताई गई आवश्कताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। हस्तगत प्रकरण में जो निर्देश जारी किये गये है वे राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना प्रकट होता है। ऐसे निर्देश सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य

सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत बनाये गये कार्यकारी व्यापार के नियमों के तहत लिया जाना प्रकट नही होता है।''

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के निर्णय संविधान की धारा 162 सहपठित धारा 166 की पालना में जारी किया जाना चाहिए तथा ऐसा कोई निर्देश जो राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा बिना प्रक्रिया की अनुपालना किये जारी किया जाता है, वह राज्य सरकार पर बाध्यकारी नही है। हम उपरोक्त निर्णय से सम्मान पूर्वक सहमति रखते है।

14. हस्तगत प्रकरण में हमने राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1987 में की गई प्रतिबद्धता को आलेखित किया है। साथ ही महासंघ की पश्चातवर्ती मांगो जो विभिन्न समयों पर की गई थी तथा सम्बन्धित मंत्री का अंतिम निर्णय विभिन्न अधिकारियों जिनमें मानव संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारी सम्मिलित है, महासंघ के प्रतिनिधियों एवं प्रकरण से सम्बन्धित अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों। इसके अलावा राज्य सरकार का उक्त निर्णय लागू करने के आदेश समस्त विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों व रजिस्ट्रारों को जारी किये गये है। ऐसी परिस्थितियों में, जैसा की पहले भी कहा गया है कि राज्य सरकार यह आपत्ति नही उठा सकती है कि ऐसा निर्णय राज्य सरकार का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 162 सहपठित 166 के अनुसार नही है।

15. श्री वेणूगोपाल विद्वान् वरिष्ठ अधिक्ता विरोध करने वाले उत्तरदाताओं की ओर से ने बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एम.एस.ई.एस.के.के. महासंघ एवं अन्य 2005(9) एस.सी.सी. पेज 129 पर निर्भर किया है। यह निर्णय ऐसे विवाद में आया है जिसमें 40 महाविद्यालय जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित थे, को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत अधिकारिता में लिया गया था तथा शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के लिए कार्य करने वाले 4000 कर्मचारियों को समायोजित करने के आदेश दिये गये है। राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया था कि सम्बन्ध महाविद्यालयों में अतिरिक्त पद स्वीकृत करने व नियुक्तियां देने का अधिकार एवं क्षेत्राधिकारिता अधिनियम की धारा 35 के तहत मात्र राज्य सरकार की है। यह भी कहा गया था कि कुछ ऐसे निर्णय लिए गये थे जो निर्वाचित सरकार के बदलने के बाद लिए गये थे एवं जिनके लिए मंत्रिमण्डल की पूर्व स्वीकृति नही थी। मंत्रिमण्डल के किसी निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल के लिए स्वीकार करना सरकार के किसी भी संकल्प को सरकार का वैध निर्णय मानने के लिए अनिवार्य शर्त है। यह भी कहा गया कि मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बिना आदेश दिनांक 01.02.1988 जो बिहार सरकार के उप सचिव द्वारा जारी किया गया था, कि कोई वैधानिकता नही थी। राज्य सरकार द्वारा आगे यह बहस की गई कि राज्य सरकार के किसी भी वैध आदेश के लिए यह आवश्यक है कि वह आदेश

औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से अनुच्छेद 166 के तहत जारी किया जाये। पैरा संख्या 64 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

> 64. जहां तक की आदेश दिनांक 1812 1989 का प्रश्न है, जब ऐसा निर्णय राज्य द्वारा लिया गया है तो मात्र इस कारण कि संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत निर्णय राज्यपाल के नाम से जारी नही किया गया है। राज्य सरकार को इस बात की अनुमति नही देता है कि राज्य सरकार अपने आदेश से पिछे हट जाये या आदेश वापस ले ले। मात्र निर्वाचित सरकार का बदल जाना पूर्व की निर्वाचित सरकार के निर्णय को अनादरित करने को न्यायोचित नही ठहराता है। यदि नवीन निर्वाचित सरकार को निर्णय दिनांक 01.02.1988 व 18.12.1989 स्वीकार्य नही थे तो उनके लिए यह रास्ता खुला था कि वे ऐसे आदेशों को निरस्त कर दे या औपचारिक रूप से वापस ले ले। ऐसे निरस्त करने के अथवा वापस लेने के आदेश के अभाव में दोनों आदेश दिनांक 01.02.1988 व 18.12.1989 के सम्बन्ध में बिहार सरकार व झारखंड सरकार (जो बिहार राज्य के पुर्नगठन के उपरान्त बनाया गया है) के द्वारा यह नही कहा जा सकता है कि ऐसे निर्णय उन पर लागू नही हैं।

उपरोक्त निश्कर्ष के अनुसार यह स्पष्ट है कि मात्र निर्वाचित सरकार के बदल जाने के कारण एवं पूर्व सरकार को निर्णय को राज्यपाल के नाम संविधान अनुच्छेद 166 के तहत जारी नही करने के कारण वैध निर्णय को नकारा नही जा सकता है एवं राज्य सरकार द्वारा यह नही कहा जा सकता है कि ऐसा निर्णय उन पर लागू नही होता है।

16. यहां इस न्यायालय के संविधान पीठ के द्वारा आर चित्रलेखा व अन्य बनाम मेहसूर राज्य व अन्य ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1823 का आवलम्ब लेना भी सहायक होगा। संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धांत को समझने के लिए पैरा संख्या 4 व 5 का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जो निम्नानुसार है-

"(4) बहस के अगले बिन्दू में यह कहा गया है कि अनुलग्नक 4 अवैध है क्योकि वह संविधान के अनुच्छेद 166 में दिये गये उपबंद्धों के अनुसार नही है। क्योकि ऐसी बहस का बिन्दू अनुलग्नक के फॉर्म पर है। अतः उसका सारवान भाग पढना सुविधाजनक होगा।

"श्रीमानजी

विषय- अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षातकार में नम्बर देने के सम्बन्ध में

आपके पत्र संख्या ए.ए.एस. 4. ए.डी.डब्ल्यू/63/2491 दिनांकित 25.06.1963 के अनुक्रम में, उपरोक्त विषयान्तर्गत, मूझे यह निर्देश दिया गया है कि सरकार ने अधिकतम अंकों के 25 प्रतिशत अंक .....

भवदीय

एस.डी.

एस.नारासपा

अवर सचिव राज्य सरकार शिक्षा विभाग"

देखने से ही यह पत्र यह दिखाता है कि यह संसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश जो राज्य सरकार के अवर सचिव शिक्षा विभाग के हस्ताक्षरों से जारी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश को राज्यपाल के नाम से जारी किया जायेंगा एवं ऐसे आदेश जो राज्यपाल के नाम से जारी किये जाते है, को नियमों में बताये गये तरिके से सत्यापित किया जायेगा एवं ऐसे आदेश की वैधता इस आधार पर सवाल नही उठाया जायेगा कि आदेश राज्यपाल द्वारा नही दिया गया है।

यदि अनुच्छेद में बताये गये नियमों की पालना की जाती है तो आदेश पर इस आधार पर प्रश्न नही उठाया जा सकता है कि आदेश राज्यपाल द्वारा नही दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि क्योकि आदेश राज्यपाल के नाम पर जारी नही किया गया है। अतः आदेश अवैध है और आदेश की पालना में कोई

साक्षातकार नही लिए जा सकते। इस बिन्दू पर विधि सुस्थापित है। दतात्रेय मौरेश्वर पंगारकर बनाम मुम्बई राज्य 1952 एस.सी.आर. 612 में पेज संख्या 625 (ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 181 पेज 185-186) में न्यायाधिपति दास, जैसा की वह उस समय थे ने यह कहा है-

> ‘‘अनुच्छेद 166 में बताई गई आवश्कताओं की कठोरता पूर्वक पालना करने से ऐसे आदेश को यह सुरक्षा प्राप्त होती है कि ऐसे आदेश पर इस आधार पर प्रश्न नही उठाया जा सकता है कि आदेश राज्यपाल द्वारा जारी नही किया गया है। यदपि अगर अनुच्छेद की आवश्यकताओं का अनुसरण नही किया जाता है तो उत्पन्न होने वाली सुरक्षा का लाभ राज्य सरकार नही उठा सकती है। यह यदपि आदेश को स्वतः अवैध नही बनाता है..... अनुच्छेद 166 यह निर्देश देता है कि प्रत्येक कार्यकारी आदेश अनुच्छेद में दिये गये तरीके से जारी व सत्यापित किया जायेगा। परन्तू ऐसा नही किया जाने पर कार्यकारी आदेश शून्य नही होता है। अतः विधि के अनुसार बताई गई प्रक्रिया के अनुसार सक्षम राज्य को यह निर्णय लेना चाहिए कि निरूद्ध करने का आदेश अन्तर्गत धारा 11(1) के तहत पूष्टि की जाये या नही।’’

उपरोक्त विचार को ही इस न्यायालय द्वारा मुम्बई राज्य बनाम पुरूषोत्तम जोग नायक ए.आई.आर. 1952 सुप्रीम न्यायालय 317: 1952 एस.सी.आर. 674 में दौराया गया था। जहां यह इंगित किया गया था कि यदपि प्रश्नगत आदेश का रूप त्रूटिपूर्ण है। राज्य सरकार के लिए यह मार्ग खुला है कि वह अन्य तरिके से यह सिद्ध कर सके कि आदेश को उचित रूप से जारी किया गया था। इस विचार को इस न्यायालय द्वारा पुनः बाद के निर्णयों में दौराया गया है: देखे घायोमाल एवं सनस् बनाम दिल्ली राज्य (1959 एस.सी.आर. 1424) एवं यह एक सुस्थापित विधि है कि संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधान निर्देशात्मक है ना कि आज्ञापक एवं यदि उनकी पालना नही की जाती है तो यह तथ्य के प्रश्न के रूप में सिद्ध किया जा सकता है कि आक्षेपित आदेश वास्तव में राज्य सरकार या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया था। इस न्यायालय का बचित्तर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1962 पूरक 3 एस.सी.आर. 713) में पारित आदेश अपीलार्थीयों की मदद नही करता है क्योकि उक्त मामले में राजस्व मंत्री द्वारा पारित आदेश की सूचना पार्टी को नही दी गई थी एवं इसलिए यह माना गया था कि आदेश लागू किये जाने योग्य नही है।

5. उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में अब हम प्रकरण के तथ्यों को देखते है। यदपि अनुलग्नक 4 संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अनुसार नही है एवं देखने पर ही यह कहता है कि ऐसा आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है एवं इससे इंकार नही है कि यह संसूचना चयन कमेटी को दी गई थी। अपीलार्थीयों द्वारा प्रस्तुत किसी भी शपथ-पत्र में ऐसा कोई विशिष्ठ अभिकथन नही किया गया है कि सरकार द्वारा ऐसा आदेश जारी नही किया गया था। इसके विरोध मे प्रस्तुत शपथ-पत्र जो बी.आर. वर्मा मेसुर सरकार के शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा पेश किया गया है, में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि अनुग्नक 4 को जारी करने का आदेश सरकार ने दिया था एवं इसी प्रकार का एक पत्र मेडिकल कॉलेजों की चयन कमेटी को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु जारी किया गया है तथा उपरोक्त अभिकथन से अपीलार्थीयों ने शपथ-पत्र पेश कर इंकार नही किया है। इन परिस्थितियों में जब इस आक्षेप से इंकार नही है कि आदेश सरकार द्वारा दिया गया था तो हमारे पास उपसचिव के कथन को खारिज करने कोई आधार नही है। जिसमें उन्होने राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी होना बताया है। ऐसा अभिकथन सारहीन है।"

उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधान निर्देशात्मक है ना कि आज्ञापक एवं यदि उनकी पालना नही की जाती है तो यह तथ्य के प्रश्न के रूप में प्रकट किया जा सकता है कि आक्षेपित आदेश वास्तव में राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था। हस्तगत प्रकरण में हमने पहले ही सरकार द्वारा पूर्व के निर्णय को लागू करने हेतू जारी विभिन्न संसूचनाओं का उल्लेख कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा भेजी गई संसूचनाओं को खारिज करने का कोई कारण नही है।

17. यथा ऐसे सभी व्यक्ति जो समझौते के पक्षकारान का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रतिबद्धता दिखाने के बाद, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है। हमारा भी यही मत है कि समझौते का सम्मान बिना किसी अपवाद के किया जाना चाहिए। अपने आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने ना केवल राज्य सरकार को अपनी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए कहा है, जिसे दिनांक 18.07.2007 को अभिलेखित किया गया था एवं जिसके सम्मान के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पत्र संसूचनाएं बाद में जारी की गई थी बल्कि महासंघ को भी छात्र हित में अपनी हडताल वापस लेने का निर्देश दिया है। हम यह स्पष्ट करना चाहते है कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को अंतरिम आदेश बताया है। परन्तू इस तथ्य

को देखते हुए कि रिट याचिका एक छात्र द्वारा समस्त छात्रों के हित में पत्र लिखने पर जनहित याचिका के रूप में मानी गई थी। आगामी कोई आदेश ऐसी रिट याचिका में जारी करने की आवश्यकता नही है। यथा सी.डब्ल्यू.जे नम्बर 10870/2008 जो पटना उच्च न्यायालय में लम्बित है, बंद की जाती है।

18. हमारे निर्णय के प्रकाश में हम बिहार राज्य को यह निर्देश देते है कि वह आक्षेपित आदेश दिनांक 07.08.2008 इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन माह के भीतर लागे करें। बिहार राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त निर्देश के साथ खारिज की जाती है। खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नही दिये जा रहे है।

अरूण गोदारा

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री अरुण गोदारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****